न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाड़ा

बजरिये श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	75/2021
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	10.03.2021
प्रकरण में निर्णय होने की दिनांक	03.01.2022

अनवान

1	भैरूलाल पि.गिरधारी गूर्जर नि.बगता का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी

उपस्थिति –अधिवक्ता प्रार्थी	श्री मांगीलाल गूर्जर
उपस्थितिः- अधिवक्ता अप्रार्थी	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

(1) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता संख्या 94 में आराजी नम्बर 1463/5 रकबा 0.60 हैक्टर एंव खाता संख्या 95 में आराजी नम्बर 1464/5 रकबा 0.60 हैक्टर खाता संख्या 93 में आ.नं.1465/5 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खातेदारो से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से प्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है।

(2) उक्त वर्णित आराजियात जिसके मूल खसरा संख्या 05 के नम्बर में स्थित है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शे में तरमीम करते समय खसरा नम्बर 5 [illegible] में तरमीम करदी है जबकि मौके पर प्रार्थी [illegible] सीमा पर काबिज है। उक्त आराजी नम्बर खसरा नम्बर 05 के पश्चिमी दिशा में [illegible] होनी चाहिये थी किन्तु इनकी तरमीम मूल आ.नं.5 1462/5,1460/5,1461/5 की [illegible] सार आराजी नम्बर 5 ग्राम [illegible] सीमा की उत्तर दिशा में कर दी गयी है जो प्रार्थी अपने कब्जे [illegible]सार आराजी नम्बर 5 ग्राम [illegible] सीमा से लगती हुई आराजी पर तरमीम कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:44:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

(3) उक्त आराजी नम्बर 1463/5,1464/5,1465/5 को आराजी नम्बर 5 की जो कि वर्तमान में बिलानाम भूमि स्थित है कि ग्राम सुलिया की सीमा से लगती हुई पश्चिमी मेड़ पर नक्शे में तरमीम किया जाना विधि सम्मत है एंव प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि इसी स्थान पर है।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा पटवार हल्का रघुनाथपुरा की जमाबन्दी संवत 2074 -77 के खाता संख्या 94 में आराजी नम्बर 1463/5 रकबा 0.60 हैक्टर खाता संख्या 95 में आराजी नम्बर 1464/5 रकबा 0.60 हैक्टर व खाता संख्या 93 में आराजी नम्बर 1465/5 रकबा 0.60 हैक्टर को वर्तमान राजस्व नक्शे में गलत हुई तरमीम को दुरूस्त करा वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

(5) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 15.07.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

(6) प्रार्थी ने अपने प्रार्थना –पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये –

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज संपादन कर्ता का विवरण
1	शपथ-पत्र	खातेदार स्वंय भैरूलाल पि.गिरधारी गूर्जर नि.बगता का खेड़ा
2	शपथ-पत्र	दूदाराम पि.हजारीलाल गूर्जर नि.बनी का बाड़िया (करेड़ा)
3	शपथ-पत्र	श्री ईश्वरलाल पि.लाखाराम गूर्जर नि.कांगसों का बाड़िया (करेड़ा)

(7) भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ से मौका रिपोर्ट दिनांक 31.12.2021 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(8) पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों /जवाब पैरोकार सरकार /मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ / प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेपतः विवरण निम्नानुसार है –

I. श्री श्रवण पुत्र भवाना सरजू पत्नि भवाना गूर्जर सा.बगता का खेड़ा को राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा की सरहद में आ.नं.5 रकबा 7.86 हैक्टर भूमि में से दिनांक 17.12.2004 को रकबा 0.60 हैक्टर भूमि आवन्टित की जाकर बटा नम्बर 1463/5 रकबा 0.60 हैक्टर कायम किये गये एंव आ.नं.5 मी की पूर्वी सीमा पर तरमीम कर दी गयी जबकि मौका रिपोर्ट भू.अ.नि.के अनुसार वास्तविक रूप से आ.नं.5 मीं की उत्तरी –पश्चिमी सीमा पर कब्जा सिपुर्द किया गया था और आवन्टन समय से ही वे आ.नं.5 मीं की उत्तरी –पश्चिमी सीमा पर काबिज थे एंव उसके पश्चात के क्रेताओं का कब्जा भी आज दिनांक तक आ.नं.5 की उत्तरी –पश्चिमी सीमा पर अनवरत जारी है। हाल राजस्व रेकार्ड में आ.नं.1463/5 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि भैरूलाल [illegible] गूर्जर सा.देह के नाम दर्ज है।

II. श्री देबी पुत्र भवाना उगमी पत्नि देबी गूर्जर सा.बगता का [illegible] को राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा की सरहद में आ.नं.5 रकबा 7.86 हैक्टर भूमि में से दिनांक 17.12.2004 को रकबा 0.60 हैक्टर भूमि आवन्टित की जाकर बटा नम्बर 1464/5 रकबा 0.60 हैक्टर कायम किये गये एंव आ.नं.5 मी की पूर्वी सीमा पर तरमीम कर दी गयी जबकि मौका रिपोर्ट भू.अ.नि. के अनुसार वास्तविक रूप से आ.नं.5 मीं की उत्तरी –पश्चिमी सीमा पर कब्जा सिपुर्द किया गया था और आवन्टन समय से ही वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:44:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.)आसीन्द

आ.नं.5 मीं की उत्तरी –पश्चिमी सीमा पर काबिज थे एंव उसके पश्चात के क्रेताओं का कब्जा भी आज दिनांक तक आ.नं.5 की उत्तरी –पश्चिमी सीमा पर अनवरत जारी है। हाल राजस्व रेकार्ड में आ.नं.1464/5 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि भैरूलाल पि.गिरधारी गूर्जर सा.देह के नाम दर्ज है।

III. श्री बक्षू पुत्र भवाना सरजू पत्नि बक्षू गूर्जर सा.बगता का खेड़ा को राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा की सरहद में आ.नं.5 रकबा 7.86 हैक्टर भूमि में से दिनांक 17.12.2004 को रकबा 0.60 हैक्टर भूमि आवन्टित की जाकर बटा नम्बर 1465/5 रकबा 0.60 हैक्टर कायम किये गये एंव आ.नं.5 मी की पूर्वी सीमा पर तरमीम कर दी गयी जबकि मौका रिपोर्ट भू.अ.नि.के अनुसार वास्तविक रूप से आ.नं.5 मीं की उत्तरी –पश्चिमी सीमा पर कब्जा सिपुर्द किया गया था और आवन्टन समय से ही वे आ.नं.5 मीं की उत्तरी –पश्चिमी सीमा पर काबिज थे एंव उसके पश्चात के विक्रेताओं का कब्जा भी आज दिनांक तक आ.नं.5 की उत्तरी –पश्चिमी सीमा पर अनवरत जारी है। हाल राजस्व रेकार्ड में आ.नं.1465/5 रकबा 0.60 हैक्टर भूमि भैरूलाल पि.गिरधारी गूर्जर सा.देह के नाम दर्ज है ।

(9) मौका रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक दौलतगढ़ के अनुसार राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा की आ.नं.5 की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर खातेदार भैरूलाल पि.गिरधारी गूर्जर सा.देह का कब्जा होकर मौके पर मिट्टी का पारा व कांटे की बाड़ लगाकर कब्जा कर रखा है।

(10) उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय को प्रार्थना –पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः

◂ क्रियात्मक आदेश ▸

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बगता का खेड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-77 में निम्नानुसार संशोधन के आदेश किये जाते है -

क्र.सं.	आराजी नम्बर	कुल रकबा	किस्म	वर्तमान खातेदार का नाम	परिवर्तन पश्चात खातेदार का नाम	विशेष विवरण
1	1463/5	0.60	बीड़	भैरूलाल पि.गिरधारी गूर्जर सा.देह	बिलानाम सरकार	0.60 सम्पूर्ण
2	1464/5	0.60	बीड़			0.60 सम्पूर्ण
3	1465/5	0.60	बीड़			0.60 सम्पूर्ण
4	5 मी	4.26	बींड़	बिलानाम सरकार	भैरूलाल पि.गिरधारी गूर्जर सा.देह खातेदार	नजरी नक्शा ILR के अनुसार आ.नं.5 में से रकबा 1.80 हैक्टर उत्तरी पश्चिमी सीमा पर

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज हेतु तहसीलदार आसीन्द को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:44:04 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलेक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा